राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(69)ग्राविवि / इआ / विविध / ग्रुप–5 / 2014–15 जयपुर, दिनांक 2 ~~जनवरी~~ अप्रैल, 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवसो का लाभ दिलाये जाने के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवसों का लाभ अनुमत है। उक्त के कम में जिलों से समीक्षा के दौरान पाया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्य देख रहे अधिकारियों / कार्मिकों की अनदेखी के कारण अनुमत मानव दिवसों के पारिश्रमिक का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है या मिलने में विलम्ब के कारण आवास समय पर पूर्ण नहीं हो रहे है।

उच्च स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों में उक्त लापरवाही को गंभीरता से लेते हुये इसके प्रति असंतोष प्रकट किया गया है, क्योकि योजना के अधिकारियों / कार्मिकों की लापरवाही से आवास योजना का लाभार्थी अनुमत लाभ से वंचित हो रहा है, जो एक लापरवाही / कृत्य है। अतः निर्देशानुसार आप अपने स्तर से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमत लाभ उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा कर, देय लाभ मे कमी की गणना करवाकर दोषी अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावे।

भवदीय,

(के. के. शर्मा) 2/4/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान।
6. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र) समस्त।
9. प्रभारी अधिकारी (आवास), जिला परिषद् समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

2/4/18
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)